दिनांक–03.01.2014 को 10.30 बजे पूर्वाह्न से समाहरणालय सभागार में अपर समाहर्ता,दरभंगा की अध्यक्षता मेंआयोजित प्रधान लिपिकों की जिला स्तरीय मासिक बैठक में उपस्थित प्रधान लिपिक एवं बैठक की कार्यवाही।

आज की आहूत बैठक में कार्यालय अधीक्षक(सामान्य), 2.प्रधान लिपिक जिला स्थापना, 3. प्रधान लिपिक जिला राजस्व,4. जिला आपूर्ति 5.जिला विधि 6.जिला निर्वाचन 7.जिला सामान्य 8.जिला विकास 9.जिला आपदा प्रबंधन 10.जिला कोषागार 11.जिला नीलाम पत्र 12.जिला कल्याण 13.जिला जन शिकायत कोषांग 14.जिला भू–अर्जन 15.जिला लेखा 16.जिला भविष्य निधि 17. जिला पंचायत 18.जिला सामाजिक सुरक्षा 19. जिला अभिलेखागार 20.जिला नजारत 21. जिला ग्रामीण विकास अभिकरण 22. जिला उत्पाद 23.जिला लोक सूचना कार्यालय 24.जिला निबंधन कार्यालय 25.जिला अभियोजन 26. राष्ट्रीय बचत कार्यालय 27.जिला प्रोग्राम कार्यालय 28. जिला राजभाषा 29.भूमि सुधार कार्यालय सदर दरभंगा 30.अनुमंडल कार्यालय,बिरौल31. अनुमंडल कार्यालय,बेनीपुर 32.भूमि सुधार कार्यालय,बेनीपुर33. सदर अंचल दरभंगा 34.केवटी अंचल 35.सिंहवाड़ा अंचल 36. जाले अंचल 37. हायाघाट अंचल 38. हनुमाननगर अंचल 39. बहेड़ी अंचल 40. मनीगाछी अंचल 41.तारडीह अंचल 42.बेनीपुर अंचल 43. अलीनगर अंचल 44.बिरौल अंचल 45.गौड़ाबौराम अंचल 46.घनश्यामपुर अंचल 47.किरतपुर अंचल 48. कुशेश्वरस्थान अंचल 49.कुशेश्वरस्थान पूर्वी अंचल 50. सदर प्रखंड दरभंगा 51. बहादुरपुर प्रखंड 52. केवटी प्रखंड 53. सिंहवाड़ा प्रखंड 54. जाले प्रखंड 55. हायाघाट प्रखंड 56. हनुमाननगर प्रखंड 57. बहेड़ी प्रखंड 58.मनीगाछी प्रखंड 59. अलीनगर प्रखंड 60. बेनीपुर प्रखंड 61. घनश्यामपुर प्रखंड 62. किरतपुर प्रखंड 63. कुशेश्वरस्थान प्रखंड 64.कुशेश्वरस्थान पूर्वी प्रखंड बैठक में उपस्थित हुए ।

अनुपस्थित प्रधान लिपिकों में 01. अनुमंडल कार्यालय सदर दरभंगा 02.भूमि सुधार कार्यालय,बिरौल 03. अंचल कार्यालय, बहादुरपुर 04.प्रखंड कार्यालय, तारडीह 05.प्रखंड कार्यालय,बिरौल 06. प्रखंड कार्यालय गौड़ाबौराम अनुपस्थित रहे ।

निदेश दिया गया कि इन अनुपस्थित प्रधान लिपिकों से स्पष्टीकरण की मांग की जाय तथा आज के वेतन को अवरूध्द रखने की कार्रवाई की जाय ।

01.स्थापना :–

लंबित विभागीय कार्यवाही :–

प्रधान लिपिक , अंचल कार्यालय, हायाधाट को निदेश दिया गया कि श्री रामबहादुर कुंवर, राजस्व कर्मचारी का स्थानान्तरण कुशेश्वरस्थान अंचल में हो गया है,उनकी सेवापुस्त अभी तक अंचल कार्यालय कुशेश्वरस्थान को नहीं भेजा गया है। श्री कुंवर की सेवापुस्त अप्राप्त रहने के कारण उनके विरूध्द संचालित विभागीय कार्यवाही के निष्पादन में कठिनाई हो रही है। श्री कुंवर की सेवापुस्त एक सप्ताह के अंदर प्रधान लिपिक अंचल कार्यालय, हायाधाट को भेजने का निदेश दिया गया ।

प्रधान लिपिक अंचल कार्यालय, दरभंगा को निदेश दिया गया कि श्री अनिल कुमार दास,लिपिक के प्रभार आदान– प्रदान से संबंधित पत्र स्थापना कार्यालय, दरभंगा से भेजा गया है,जिसका अनुपालन अबतक नहीं किया गया है। प्रधान लिपिक अंचल कार्यालय ,दरभंगा को निदेश दिया गया कि त्रुटिनिराकरण कर एक सप्ताह के अंदर अनुपालन प्रतिवेदन भेजी जाय ।

02. चल/ अचल सम्पति के प्रतिवेदन :–

सभी उपस्थित प्रधान लिपिकों को निदेश दिया गया कि स्थापना शाखा से चल/ अचल सम्पत्ति के बारे में पत्र भेजा गया है,जिसका अनुपालन अबतक नहीं किया गया है। भेजे गए विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन सी0डी0 के साथ सभी कर्मियों की सूची जिला स्थापना शाखा, दरभंगा को भेजने का निदेश दिया गया ।

03. रोकड़ पंजी :–

निम्नलिखित कार्यालयों से रोकड़ पंजी एवं सेवांत लाभ के प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं ।

क0सं0	कार्यालय का नाम	रोकड़ पंजी	सेवांत लाभ ।
01.	सदर अनुमंडल	अप्राप्त	अप्राप्त
02.	बेनीपुर अनुमंडल	अप्राप्त	प्राप्त
03.	बिरौल अनुमंडल	प्राप्त	प्राप्त
04.	सदर प्रखंड	प्राप्त	प्राप्त
05.	बहादुरपुर प्रखंड	अप्राप्त	प्राप्त
06.	बहेड़ी प्रखंड	प्राप्त	प्राप्त
07.	हायाघाट प्रखंड	प्राप्त	प्राप्त
08.	हनुमाननगर प्रखंड	प्राप्त	प्राप्त
09.	सिंहवाड़ा प्रखंड	प्राप्त	प्राप्त
10.	जाले प्रखंड	प्राप्त	प्राप्त
11.	केवटी प्रखंड	प्राप्त	प्राप्त
12.	मनीगाछी प्रखंड	प्राप्त	प्राप्त
13.	तारडीह प्रखंड	अप्राप्त	अप्राप्त
14.	अलीनगर प्रखड	प्राप्त	अप्राप्त
15.	बेनीपुर प्रखंड	प्राप्त	प्राप्त
16.	घनश्यामपुर प्रखंड	अप्राप्त	प्राप्त
17.	किरतपुर प्रखंड	प्राप्त	प्राप्त
18.	गौड़ाबौराम प्रखंड	अप्राप्त	अप्राप्त
19.	बिरौल प्रखंड	अप्राप्त	अप्राप्त
20.	कुशेश्वरस्थान प्रखंड	प्राप्त	प्राप्त
21.	कुशेश्वरस्थान पूर्वी प्रखंड	अप्राप्त	प्राप्त
22.	जिला कल्याण	प्राप्त	अप्राप्त
23.	अवर निबंधक,दरभंगा	प्राप्त	प्राप्त
24.	कोषागार, दरभंगा	प्राप्त	प्राप्त
25.	भविष्य निधि ,दरभंगा	प्राप्त	प्राप्त
26.	राष्ट्रीय बचत कार्यालय	प्राप्त	प्राप्त
27.	जिला अभियोजन कार्यालय	प्राप्त	प्राप्त
28.	जिला निर्वाचन	प्राप्त	प्राप्त
29.	जिला सामाजिक सुरक्षा,दरभंगा	प्राप्त	प्राप्त
30.	अधीक्षक , उत्पाद ,दरभंगा	प्राप्त	प्राप्त

31.	भूमि सुधार ,सदर दरभंगा	अप्राप्त	प्राप्त
32.	भूमि सुधार बेनीपुर	प्राप्त	प्राप्त
33.	भूमि सुधार बिरौल	प्राप्त	प्राप्त
34.	सदर अंचल दरभंगा	प्राप्त	प्राप्त
35.	बहादुरपुर अंचल	अप्राप्त	अप्राप्त
36.	बहेड़ी अंचल	प्राप्त	प्राप्त
37.	हायाधाट अंचल	प्राप्त	अप्राप्त
38.	हनुमाननगर अंचल	प्राप्त	प्राप्त
39.	सिंहवाड़ा अंचल	प्राप्त	प्राप्त
40.	जाले अंचल	प्राप्त	प्राप्त
41.	केवटी अंचल	प्राप्त	प्राप्त
42.	मनीगाछी अंचल	प्राप्त	प्राप्त
43.	तारडीह अंचल	प्राप्त	प्राप्त
44.	अलीनगर अंचल	अप्राप्त	प्राप्त
45.	बेनीपुर अंचल	प्राप्त	प्राप्त
46.	घनश्यामपुर अंचल	प्राप्त	प्राप्त
47.	किरतपुर अंचल	अप्राप्त	अप्राप्त
48.	गौड़ाबौराम अंचल	प्राप्त	प्राप्त
49.	बिरौल अंचल	प्राप्त	प्राप्त
50.	कुशेश्वरस्थान अंचल	प्राप्त	प्राप्त
51.	कुशेश्वरस्थान पूर्वी अंचल	प्राप्त	प्राप्त

उपरोक्त जिन कर्यालयों से रोकड़ पंजी एवं सेवांत लाभ के प्रतिवेदन प्राप्त नही कराये गए हैं, उन कार्यालयों के प्रधान लिपिकों को निदेश दिया गया कि दो दिनों के अन्दर रोकड़ पंजी एवं सेवांत लाभ के प्रतिवेदन जिला स्थापना शाखा को प्राप्त कराने की कार्रवाई की जाय।

सभी प्रधान लिपिकों को निदेश दिया गया कि आगामी बैठक में रोकड़ पंजी की सत्यापित प्रति के साथ बैठक में भाग लेना सुनिश्चित करेंगे।

<u>02 जिला विधि कार्यालय :–</u>

माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित लंबित सी0डब्लू0जे0सी0 मामलों की समीक्षा की गई। समीक्षा के कम में प्रधान लिपिक, जिला विधि प्रशाखा, दरभंगा व्दारा बताया गया कि बेनीपुर प्रखंड से संबंधित 05 पांच मामले वर्ष–2012 से लंबित चले आ रहे हैं । प्रधान लिपिक, बेनीपुर प्रखंड को निदेश दिया गया कि इन लंबित मामलों को देखकर त्वरित कार्रवाई करते हुए कृत कार्रवाई से संबंधित सूचना जिला विधि प्रशाखा, दरभंगा को उपलब्ध कराने की कार्रवाई एक सप्ताह के अंदर की जाय ।

बैठक में उपस्थित सभी प्रधान लिपिक को निदेश दिया गया कि कोई भी मामला माननीय उच्च न्यायालय में दायर किया जाता है, तो दायर की तिथि से 30 दिनों के अंदर तथ्य विवरणी

तैयार कर दाखिल कर देना है और माननीय उच्च न्यायालय में दायर तथ्य विवरणी के औथ नम्बर एवं दिनांक के साथ जिला विधि प्रशाखा, दरभंगा को उसकी सूचना भेजने का निदेश दिया गया ।

बहेड़ी अंचल के 05 मामले माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित लंबित चले आ रहे है। पृच्छा के क्रम में प्रधान लिपिक द्वारा बताया गया कि 02 मामले माननीय उच्च न्यायालय में दायर किया गया है। प्रधान लिपिक को निदेश दिया गया कि इन 02 मामले का औथ नम्बर एवं दिनांक के साथ प्रतिवेदन जिला विधि शाखा, दरभंगा को भेजी जाय । शेष –03 लंबित मामलों पर त्वरित कार्रवाई करने का निदेश दिया गया ।

अलीनगर अंचल में 02 मामला लंबित होना बताया गया , जो अतिक्रमण का है । प्रधान लिपिक व्दारा बताया गया कि अभिलेख नहीं मिल रहा है। प्रधान लिपिक अंचल कार्यालय, अलीनगर को निदेश दिया गया कि पुनः राजस्व कागजातों के आधार पर अभिलेख तैयार कर विधिवत अग्रेत्तर कार्रवाई की जाय ।

बहेड़ी प्रखंड कार्यालय से संबंधित श्रीमती सविता देवी बनाम राज्य के मामले के बारे में प्रधान लिपिक प्रखंड कार्यालय बहेड़ी द्वारा बताया गया कि औथ नम्बर एवं दिनांक के साथ सूचना जिला विधि शाखा, दरभंगा को भेज देगें ।

दरभंगा प्रखंड से संबंधित श्री अजय कुमार कर्ण, डीलर का मामला है । प्रधान लिपिक दरभंगा प्रखंड द्वारा बताया गया कि औथ नम्बर एवं दिनांक के साथ प्रतिवेदन जिला विधि प्रशाखा, दरभंगा को भेज दिया जायगा ।

हायाधाट अंचल से संबंधित श्री सीताराम पासवान, सेवा निवृत राजस्व कर्मचारी का सेवांत लाभ से संबंधित मामला लंबित है। प्रधान लिपिक, अंचल कार्यालय हायाधाट को निदेश दिया गया कि त्वरित कार्रवाई कर प्रतिवेदन जिला विधि प्रशाखा, दरभंगा को उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जाय ।

हनुमाननगर प्रखंड से संबंधित श्री हरेराम मिश्र बनाम राज्य का मामला लंबित है । प्रधान लिपिक, प्रखंड कार्यालय हनुमाननगर को निदेश दिया गया कि अविलंब इन मामलो को देखकर त्वरित कार्रवाई की जाय।

कुशेवरस्थान पूर्वी प्रखंड से संबंधित मोती लाल गिरी बनाम राज्य का मामला के बारे में पृच्छा के क्रम में प्रधान लिपिक कुशेवरस्थान पूर्वी प्रखंड द्वारा बताया गया कि बिल कोषागार को भेज दिया गया है ।

03. <u>पंचायत</u> :–

प्रधान लिपिक, जिला पंचायत द्वारा बताया गया कि बिरौल प्रखंड के श्री कैलाश चौधरी, पंचायत सचिव के विभागीय कार्यवाही का मामला लंबित चला आ रहा है,जिसमें साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना है ।

प्रधान लिपिक, बिरौल प्रखंड को निदेश दिया गया कि अविलंब साक्ष्य प्रस्तुत करने की कार्रवाई की जाय , ताकि लबित विभागीय कार्यवाही का निष्पादन हो सके ।

श्री विवेक कुमार ठाकुर, स0वि0स0 के प्रश्नोत्तर सामग्री बहेड़ी एवं तारडीह प्रखंड से नहीं भेजा गया है। महान विभूतियों के नाम आदर्श ग्राम घोषित किया जाना है । प्रधान लिपिक, बहेड़ी एवं तारडीह प्रखंड को निदेश दिया गया कि प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर जिला पंचायत कार्यालय को भेजने की कार्रवाई की जाय ।

जन–प्रतिनिधिगण मुखिया/ प्रमुख के बायोडाटा बहेड़ी/ अलीनगर / किरतपुर /तारडीह/कुशेश्वरस्थान/मनीगाछी/ बहादुरपुर/दरभंगा प्रखंड से नही भेजा गया है । इन प्रखंडों के प्रधान लिपिको को निदेश दिया गया कि मुखिया / प्रमुख के बायोडाटा एक सप्ताह के अंदर जिला पंचायत कार्यालय ,दरभंगा को भेजने की कार्रवाई की जाय ।

वर्ष– 2009–10 के ग्राम कचहरी एवंजन प्रतिनिधियों से संबंधित प्रतिवेदन हायाधाट/ केवटी/ बहादुरपुर प्रखंड से नही भेजे गए है । इन प्रखंडों के प्रधान लिपिक को निदेश दिया गया कि अभिश्रव एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने की कार्रवाई की जाय । समीक्षा के क्रम में बहेड़ी प्रखंड का मो0 5,31,050.00, कुशेश्वरस्थान प्रखंड का मो0 3,80,564.00, केवटी प्रखंड का मो0 2,23,320.00 जन प्रतिनिधियों के भत्ता से संबंधित राशि चालान के माध्यम से जमा करने का निदेश दिया गया।

बैठक में उपस्थित सभी प्रधान लिपिकों को निदेश दिया गया कि अपने पदाधिकारियों एवं कर्मियों के मोबाईल नम्बर अपने मोबाईल में सेभ कर ली जाय ,ताकि जरूरत पड़ने पर उनसे संपर्क किया जा सके ।

04. आपदा प्रबंधन :–

आपदा प्रबंधन विभाग के कार्यो की समीक्षा के कम में प्रधान लिपिक, आपदा प्रबंधन, दरभंगा द्वारा बताया गया कि मनीगाछी अंचल के मो0 1,40,000.00 के डी0सी0 बिल तैयार नहीं किया गया है । प्रधान लिपिक अंचल कार्यालय मनीगाछी को निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अंदर डी0सी0 बिल तैयार कर भेजने की कार्रवाई की जाय ।

तारडीह प्रखंड के बारे में बताया गया कि डी0सी0 बिल तैयार कर नहीं भेजा गया है । प्रधान लिपिक ,तारडीह प्रखंड को निदेश दिया गया कि अविलंब भेजने की कार्रवाई की जाय ।

कुशेश्वरस्थान अंचल के मो0 4,10,000.00रू0 का डी0सी0 बिल जमा नहीं किया गया है। प्रधान लिपिक, कुशेश्वरस्थान अंचल को निदेश दिया गया कि अविलंब जमा कर डी0सी0 बिल भेजने की कार्रवाई की जाय ।

बिरौल अंचल का मो0 40,000.00रू0 का डी0सी0 बिल के सामंजन नहीं हुआ है। प्रधान लिपिक ,बिरौल अंचल को निदेश दिया गया कि अविलंब सामंजन करने की कार्रवाई की जाय ।

उपयोगिता प्रमाण पत्र वर्ष–2004–05 से संबंधित सभी अंचलों को ई– मेल के माध्यम से पत्र भेजे गए है, जिसमें विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन की मांग की गई है । सभी अंचलों के प्रधान लिपिकों को निदेश दिया गया कि विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर भेजी जाय ।

हुडको कर्ज से संबंधित पत्र ई–मेल के माध्यम से भेजा गया है । लाभार्थियों के नामों की सूची राशि अंकित कर भेजने का निदेश सभी अंचलों के प्रधान लिपिकों को दिया गया । यह कर्ज एल0 आई0 जी0 /एम0 आई0जी0 /एच0 आई0जी0 के फॉर्म पर भुगतान हुआ था।

डीजल अनुदान राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रखंडों से प्राप्त नहीं हुए है । सभी प्रखंडों के प्रधान लिपिकों को निदेश दिया गया कि उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र भेजने की कार्रवाई की जाय ।

05. राजस्व :–

ए0सी0बिल / डी0सी0बिल के बारे में प्रधान लिपिक, अनुमंडल कार्यालय, बिरौल द्वारा बताया गया कि समायोजन हो गया है । बहादुरपुर अंचल से संबंधित पोखर जीर्णोद्धार का प्रतिवेदन नहीं भेजे गए है । प्रधान लिपिक द्वारा बताया गया कि भाउचर्स नहीं दिया गया है। शीघ्र भेजने का निदेश दिया गया । बहेड़ी अंचल के शीर्ष 2029 में कमशः मो0 700.00रू एवं 4500.00रू की राशि का समायोजन कर भेजने का निदेश प्रधान लिपिक, बहेड़ी अंचल को दिया गया । मनीगाछी अंचल के प्रधान लिपिक द्वारा बताया गया कि समायोजन कर लिया गया है। अलीनगर अंचल का शीर्ष–2029 में मो0729.00रू0 है । प्रधान लिपिक अलीनगर अंचल को निदेश दिया गया कि सामंजन कर प्रतिवेदन भेजी जाय । जिला नजारत का मो0 70,000.00रू0 का ए0सी0 /डी0सी0 बिल है, जिसका समायोजन करने का निदेश दिया गया ।

दरभंगा अंचल का एकादश वित आयोग का मो0 3,00,000.00रू0 खरूआ पोखर के जीर्णोध्दार से संबंधित है,जिसका समायोजन कर प्रतिवेदन भेजने का निदेश प्रधान लिपिक, दरभंगा अंचल को दिया गया । हरिजन टोले पोखर के जीर्णोध्दार का मो0 2,80,700.00रू का समायोजन नहीं हुआ है,जिसका समायोजन कर प्रतिवेदन भेजने का निदेश प्रधान लिपिक, दरभंगा अंचल को दिया गया । सिंहवाड़ा अंचल के सरकारी पोखर ,बनौली के मो02,99,000.00रू0 एवं मंदिरवाली पोखर के मो0 1,68,000.00रू का है,जिसका सामंजन नहीं किया गया है। प्रधान लिपिक अंचल कार्यालय,सिंहवाड़ा को निदेश दिया गया कि सामंजन कर प्रतिवेदन भेजी जाय । जाले अंचल के कतरी पोखर ,ब्रहमपुर का मो0 1,84,300.00 का सामंजन नहीं किया गया है। प्रधान लिपिक अंचल कार्यालय जाले को निदेश दिया गया कि सामंजन कर प्रतिवेदन भेजी जाय । केवटी अंचल के रजोखर, पोखर से संबंधित राशि के समायोजन कर प्रतिवेदन भेजने का निदेश प्रधान लिपिक केवटी अंचल को दिया गया । पुरनी पोखर ,बेनीपुर अंचल के बारे में प्रधान लिपिक, बेनीपुर अंचल द्वारा बताया गया कि यह पोखर नगर परिषद में चला गया है । बिरौल अंचल के धटैना पोखर जीर्णोध्दार के मो0 2,25,500.00रू0 बगरासी के मो0 2,12,000.00रू0 के भाउचर्स सामंजन कर भेजने का निदेश प्रधान लिपिक, गौड़ाबौराम को दिया गया । कुशेश्वरस्थान अंचल पूर्वी के मो01,20,000.00रू0 बसुआरा पोखर का सामंजन कर नही भेजा गया है । प्रधान लिपिक, कुशेश्वरस्थान अंचल को निदेश दिया गया कि सामंजन कर भेजी जाय । तारडीह अंचल के भैया पोखर ,दुर्गास्थान के मो0 2,68,000.00रू0 चालान के माध्यम से जमा कराने का निदेश प्रधान लिपिक, तारडीह अंचल को दिया गया ।

सैरात :–

वर्ष– 2014–15 से वर्ष–2016–17 तक अगले तीन वर्षो के लिए सुरक्षित जमा निर्धारण के प्रस्ताव सभी अंचलो के प्रधान लिपिकों को तैयार कर भेजने का निदेश दिया गया ।

सरकारी जमीनः–

सरकारी जमीन जिसे अतिकमण से मुक्त कराया गया है, उसकी घेराबंदी हेतु प्राक्कलन तैयार कराकर प्रस्ताव दरभंगा, बहादुरपुर अंचल के प्रधान लिपिक को भेजने का निदेश दिया गया ।

दाखिल– खारिज :–

दाखिल– खारिज मामलों के बारे में सभी अंचलो के प्रधान लिपिक को निदेश दिया गया कि दाखिल–खारिज के संबंध में जो आवेदन अंचल में दाखिल किया जाता हैं । पूर्व के जमाबंदीदार को भी नोटीश कर उनका पक्ष सुना जाय साथ ही अस्वीकृत होने वाले मामलों से आवेदक को भी सूचना देकर सुनकर तदुउपरांत अभिलेख को निष्पादित किया जाय ।

गैरमजरूआ आम / खास भूमि :–

सभी अंचलों के प्रधान लिपिक को निदेश दिया गया कि गैरमजरूआ आम / खास जमीन कितनी है दोनो प्रकृति की जमीनों को अलग – अलग सर्वेक्षण कराकर यह देखी जाय कि कितनी जमीन वंदोवस्त है । वंदोवस्त वाली जमीन पर लाभार्थियों का कब्जा है अथवा नहीं ? उसे चिंहित करायी जाय, तदनुसार विधिवत अग्रेंतर कार्रवाई की जाय । गैरमजरूआ आम /खास भूमि में अयोग्य भूमि कितनी है, उसे भी चिंहित कराने का निदेश दिया गया ।

जन शिकायत :–

सभी प्रधान लिपिक को निदेश दिया गया कि जन शिकायत से संबंधित लंबित पत्रों पर त्वरित निष्पादन कर प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर भेजी जाय ।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई ।

अपर समाहर्ता,
दरभंगा ।

ज्ञापांक– 83 /स्था0 लहेरियासराय,दिनांक–13वीं जनवरी– 2014

प्रतिलिपिः– सभी प्रधान लिपिक, दरभंगा जिला को सूचनार्थ एवं शीघ्र अनुपालनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपिः– सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अंचल अधिकारी, दरभंगा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपिः– सभी वरीय उप समाहर्ता सह प्रखंड के वरीय प्रभारी पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0 आई0 सी0, दरभंगा को जिला के बेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा/उप कोषागार पदाधिकारी, बेनीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

13.1.14

अपर समाहर्ता,
दरभंगा।

13/01/14